सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/SER-2205/JH/363/2025-RO-RNC/RU-IV दिनांक : 19.06.2026

सेवा मे,

सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखंड सरकार,
एमडीआई भवन, ग्राउंड फ्लोर, धुर्वा,
रांची, झारखंड 834004
Email Id: hrdjharkhand@gamil.com

उपायुक्त,
उपायुक्त कार्यालय,
समाहरणालय भवन,
रांची, झारखंड 834001
Email Id: dc-ran@nic.in

विषय: **अभ्यावेदिका सुश्री अनीता रानी, शिक्षिका, राजकीयकृत उच्च विद्यालय, भरनों रांची में तैनात, पता - नव निर्माण क्लब के बगल में, अरगोरा टोंगरी टोली, पोस्ट – हरमु, रांची (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन "अजय कुमार मंडल (लैब असिस्टेंट) के द्वारा महिला शिक्षकों को भिन्न – भिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने कि शिकायत" के संबंध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव / Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ</u>-:

सुश्री अनीता रानी,
शिक्षिका,
पता - नव निर्माण क्लब के बगल में,
अरगोरा टोंगरी टोली, पोस्ट – हरमु,
रांची (झारखंड) - 834002,
Mobile No: 8709783266

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.:NCST/SER-2205/JH/363/2025-RO-RNC/RU-IV

अभ्यावेदिकागण सुश्री अनीता रानी एवं अन्य, शिक्षिका, राजकीयकृत उच्च विद्यालय, भरनों रांची से प्राप्त अभ्यावेदन "अजय कुमार मंडल (लैब असिस्टेंट) के द्वारा महिला शिक्षकों को प्रताड़ित करने कि शिकायत के मामले में दिनांक 05.06.2026 को सर्किट हाउस गुमला, झारखण्ड में आयोग के समक्ष हुई सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग की दिनांक: 05.06.2026

सिटिंग का स्थान :- सर्किट हाउस गुमला, झारखण्ड

सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार

अभ्यावेदिकागण द्वारा आयोग को प्रस्तुत शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके विद्यालय के लैब असिस्टेंट अजय कुमार मंडल द्वारा आदिवासी महिला शिक्षकों के साथ अनुचित व्यवहार एवं उत्पीड़न किया जा रहा है। जब अभ्यावेदिकाओं द्वारा उक्त व्यवहार का विरोध किया गया, तो बिना किसी विधिवत बैठक के विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) की कार्यवाही तैयार कर ली गई तथा झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (JCERT) में उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई। इसके आधार पर JCERT के सहायक निदेशक द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), गुमला को पत्र लिखकर संबंधित शिक्षिकाओं के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया। अभ्यावेदिकाओं का आरोप है कि उनका पक्ष सुने बिना ही उन्हें दोषी ठहराया गया तथा विद्यालय प्रबंधन समिति की सचिव (प्रभारी प्रधानाध्यापक) द्वारा भी निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई गई। साथ ही, अजय कुमार मंडल द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित करने एवं नौकरी से हटवाने की धमकी दी जा रही है।

2. मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार एवं उपायुक्त, रांची को दिनांक 30.01.2025 को नोटिस जारी किया गया, 15 दिवस के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु।

3. आयोग के नोटिस के जवाब में संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया की जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला की अध्यक्षता में गठित त्रिस्तरीय जांच समिति द्वारा शिकायत के बिंदुओं की विस्तृत जांच की गई।जांच के दौरान दोनों पक्षों—शिकायतकर्ता शिक्षिकाओं तथा विद्यालय प्रबंधन/अन्य शिक्षकों—की उपस्थिति में सुनवाई की गई तथा प्रत्येक बिंदु पर पक्षकारों के कथनों का परीक्षण किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला को मामले की जांच हेतु निर्देशित

किया गया। अजय कुमार मंडल (लैब असिस्टेंट) का प्रतिनियोजन दिनांक 27.02.2025 के आदेश से एक वर्ष हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, रांची में किया गया है। जांच के समग्र निष्कर्ष में यह पाया गया कि विद्यालय में उत्पन्न विवाद मुख्यतःप्रधानाध्यापिका एवं शिक्षिकाओं के बीच आपसी समन्वय की कमीके कारण था तथा शिकायत में लगाए गए अधिकांश आरोप ठोस साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं हुए।साथ ही, सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि वर्तमान में विद्यालय का वातावरण सामान्य है तथा पठन-पाठन कार्य शांतिपूर्ण एवं नियमित रूप से संचालित हो रहा है। संबंधित पक्षों द्वारा आपसी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

4. विभाग से प्राप्त जवाब को अभ्यावेदिका को प्रेषित किया गया जिसके फलस्वरूप उन्होंने आयोग को अपना प्रत्युत्तर प्रेषित किया तत्पश्चात आयोग द्वारा इस प्रकरण में सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार एवं उपायुक्त, गुमला को आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2026 को गुमला, झारखण्ड में सुनवाई निर्धारित की गई तद्नुसार संबंधितों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु सिटिंग नोटिस जारी किया गया।

5. सर्किट हाउस गुमला में सुनवाई में संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार व् उपायुक्त गुमला एंव अभ्यावेदिका उपस्थित रही

6. सुनवाई में संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार ने बताया की इस मामले में जांच हो चुकी है व् प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया व् वर्तमान में किसी भी तरह की समस्या नही है तथा आगे भी पुनरावृत्ति न हो इसका विभाग पूर्णत: ध्यान रखेगा। अभ्यावेदिका ने बताया की पूर्व में उनका तीन माह की वेतन रोका गया था जिसपर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बताया की यह मामला घटना से पूर्व का है व् अब उनका कोई वेतन बकाया नही है

7. **मामले की सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंषा की जाती है**

I. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन के उपरांत यह मामला आयोग के स्तर से बंद किया जाता है। तथापि, यदि भविष्य में अभ्यावेदिका के साथ पुनः इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है, तो वह आयोग को सूचित कर सकती है, जिस पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्या

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi